

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन-682009

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

**Sevottam Compliant** 



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.nic.in E-mail: commr@cochincustoms.nic.in Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

### परिपत्र CIRCULAR. No. 31/2017

विषय: स्थाई व्यापार स्विधा समिति - दिनांक 30.08.2017 को आयोजित बैठक का

कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the

meeting held on 30.08.2017 - Reg.

\*\*\*\*\*

स्थाई व्यापार सुविधा समिति की 139वीं बैठक दिनांक 30.08.2017 को 16.30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। श्री पुल्लेला नागेश्वर राव, प्रधान आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 139th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 16.30 hrs on 30.8.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

- 1. S.Anilkumar, Addl. Commissioner
- 2. Amreeta Titus, Dy.Commissioner
- 3. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
- 4. V.A.Moideen Naina, Asst. Commissioner
- 5. M.S.Suresh, Asst.Commissioner
- 6. M.R.Hajong, Asst. Commissioner
- 7. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
- 8. A.L. Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
- 9. Baiju Daniel, Appraiser
- 10 Vijayan Pillai, Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

- 1 Raj Vinod, Cochin Port Trust.
- 2. S S Sidhu, Plant Quarantine Officer
- 2 Dr.P E Doles, FSSAI
- 3 V T Jadhav, Textile Committee
- 4 K Suresh Babu, CFS, CPT
- 5 Santhosh Kumar, CFS Falcon, Kalammassery
- 6 A.A.Abdul Azeez, CCBA
- 7 A A Fernandez, CCBA
- 8 Subodh, CSAA
- 9 Jayaprakash CSAA
- 10 Prakash Iyer CSAA
- 11 S.Ramakrishnan, Sea Food Exporters Association of India
- 12 P.M.Muraleedharan, Indian Chamber of Commerce
- 13 Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंद् उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points there on was taken for consideration after which fresh points were taken up.

## पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई Action on minutes of Previous Meeting

## 1. फ्रोज़न कंटेनरों को खोलने के लिए आरएमएस चयन में कठिनाई (एसईएआई) DIFFICULTY IN RMS SELECTION FOR OPENING FROZEN CONTAINERS (SEAI)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि आर.एम.डी. से जवाब अभी तक नहीं अया है। इस मामले की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एक अन्स्मारक भेजा गया है।

The Chair informed that reply from RMD is still awaited. A Reminder has been sent to follow up the issue.

## 2. ऑनलाइन कंटेनर म्वमेंट के लिए आवेदन (सीएसएए) REQUEST FOR ONLINE CONTAINER MOVEMENT (CSAA)

सीएसएए ने सूचित किया कि वे ऑनलाइन कंटेनर मूवमेंट के लिए लाइनों और सीएफएस प्राधिकारियों दवारा किसी सुझाव पर सहमति करवाने के प्रस्ताव पर कार्य कर रहे हैं।

CSAA informed that they are working on the proposal to come with a proposal by Lines & CFS Authorities for Online Container Movement.

3. नौवहन बिल के पृष्ठांकन की प्रक्रिया को समाप्त करने का अनुरोध (सीएसएए एवं सीसीबीए)

Request to do away with the procedure of Endorsement of Shipping Bill (CSAA & CCBA)

सीएसएए और सीसीबीए ने नावा शेवा में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के अनुरूप नौवहन बिलों के पृष्ठांकन की प्रक्रिया को समाप्त करने का अनुरोध किया।

CSAA & CCBA requested to do away with the procedure of Endorsement of Shipping Bills on the same lines as is being followed at Nhava Sheva.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि मामले की जांच की जा रही है। The Chair informed that the matter is being examined.

#### कार्रवाई सहा. आयुक्त (निवारक)/ Action : AC (Preventive)

4. लाइट हाउस सुविधा का उपयोग न करने पर भी इसके प्रभारों का भुगतान (सीएसएए)
Payment of Light House dues when the facility is not utilized (CSAA)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि लाइट हाउस प्रभारों की वसूली दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। स्थानीय कार्यालय के पास इन प्रभारों को समाप्त करने/माफ करने का कोई प्राधिकार नहीं है।

The Chair informed that the Light House are dues are collected as per the provisions of Light House Act, 1927. Local Office does not have any authority to waive/condone the dues.

### चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

बिंदु सं. 1 : फोटोकॉपीयरों को रखे गए लोंग स्टे बोक्सों की स्थिति जिन्हें डीस्टफ किए जाने/सीमाशूल्क निकासी दी जाने की ज़रूरत है (सीएसएए)

Point No.1. Status of Long Stay Boxes containing photocopiers that need to be destuffed/custom cleared(CSAA).

सीएसएए ने कहा कि सीएफएस/पोर्ट में फोटोकॉपीयरों वाले कई कंटेनर पड़े हुए हैं जिन्हें सीमाशुल्क निकासी दी जानी है और उन्होंने इस संबंध में अद्यतन स्थिति जानने का अनुरोध किया।

CSAA stated that many Containers containing photocopiers are lying at CFSs/Port pending clearance from Customs and requested to know the status.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि जांच/अदालती मामलों की वजह से ये कंटेनर लंबित पड़े हैं और सूचित किया कि इस पर अपेक्षित कार्रवाई की जा सकती है।

The Chair informed that the containers are pending clearance due to investigation/court cases and informed that due action can be taken.

# बिंदु सं.2 : सीमाशुल्क गृह, कोचिन से पंजीकृत स्टीमर एजेंटों की सूची (सीएसएए) Point No. 2 List of Steamer Agents registered with Custom House, Cochin(CSAA)

सीएसएए ने सीमाशुल्क गृह, कोचिन से पंजीकृत स्टीमर एजेंटों की सूची प्रकाशित करने का अनुरोध किया।

CSAA requested for publishing the list of Steamer Agents Registered with Custom House, Cochin.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्टमीर एजेंटों की सूची को समेकित करने का कार्य प्रगति पर है और निकट भविष्य में ही इसे प्रकाशित किया जाएगा।

The Chair stated that the compilation of the list of Steamer Agents is in progress and will be published in near future.

### कार्रवाई उप आयुक्त (आई एवं बी) Action DC (I& B)

## बिंदु सं. 3 : ईडीआई कनेक्टिविटी में गड़बड़ी और सिस्टम में खराबी के कारण शिपमेंटों का प्रभावित होना (सीएसएए एवं सीसीबीए)

### Point No 3. Shipments getting affected due to EDI Connectivity issues & System errors.(CSAA & CCBA)

सीएसएए ने कहा कि ईडीआई कनेक्टिविटी में बार-बार हो रही रुकावटों के कारण हो रही लागत में वृद्धि से शिपमेंट में प्रभाव पड़ रहा है और यह भी कहा कि टर्मिनल एवं सीएफएस प्रचालकों द्वारा एसएसआई प्रभार भी वसुले जाते हैं।

CSAA stated that Shipments are getting affected with cost escalation due to frequent interruptions in the EDI Connectivity and stated that SSR charges are being levied by the Terminal & CFS Operators.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ईडीआई कनेक्टिविटी में रुकावटों को कम करने के लिए इस मुद्दे को सशक्त रूप से उठाया जाएगा।

The Chair stated that action will be taken to escalate the issue to reduce disruptions in the EDI Connectivity.

## बिंदु सं. 4: वचन पत्र एवं शुल्क वापसी (सीसीबीए) Point No. 4. Letter of Undertaking & Drawback (CCBA)

सीसीबीए ने सेनवैट प्रमाणपत्र का लाभ नहीं उठाने के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पुष्टि के संबंध में हवाईअड्डा अधिकारियों द्वारा ज़ोर दिए जाने का मामला उठाया।

CCBA raised the issue that Officers at Airport are insisting on confirmation from Central Excise regarding non-availment of CENVAT Certificate.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शुल्कवापसी स्कीम के अंतर्गत निर्यात के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए सीबीईसी परिपत्र सं. 32/2017 दिनांक 27.08.2017 जारी किया गया है/

The Chair stated has issued CBEC Circular 32/2017 dated 27.08.2017 clarifying the exports under Drawback Scheme.

बिंदु सं. 5 : प्राधिकृत वित्तीय प्रचालकों की सूची (सीपीटी, सीएसएए, सीसीबीए, आईसीसीआई)

Point No. 5 List of Authorized Economic Operators (CPT, CSAA, CCBA, ICCI)

सीपीटी, सीएसएए और सीसीबीए ने सीबीईसी द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत वित्तीय प्रचालकों की सूची प्रकाशित करने का अन्रोध किया।

CPT, CSAA & CCBA requested to publish the list of Authorized Economic Operators approved by CBEC.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह सूचना <u>www.cbec.gov.in</u>. वेबसाइट पर 'पब्लिक इन्फॉर्मेशन- इंडियन एईओ प्रोग्राम' के तहत उपलब्ध है।

The Chair informed that this information is available under the Tab "Public Information-Indian AEO Programme on the website <u>www.cbec.gov.in</u>.

### बिंदु सं. 6 : डीजीएफटी, आरबीआई साइटों पर नौवहन बिल उपलब्ध न होना (आईसीसीआई) Point No. 6 Shipping Bills not being available in DGFT, RBI site(ICCI)

आईसीसीआई ने कहा कि डीजीएफटी, आरबीआई साइटों पर नौवहन बिलों के उपलब्ध न होने से उनके सदस्य निर्यातकों को एमईआईएस लाभ उठाने में दिक्कत हो रही है।

ICCI stated that Shipping Bills are not available in DGFT, RBI site causing difficulty for their member exporters to avail MEIS Benefit.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि जब भी निर्यातक इस संबंध में हम से संपर्क करता है, तो उनके अनुरोध पर नौवहन बिलों को प्रेषित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि विशेष मामले ध्यान में लाए जा सकते हैं।

The Chair informed that Shipping Bills are retransmitted on request whenever exporter approach us for this issue. The Chair further stated that specific issues may be brought to the notice.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be

sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-(पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao) प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II तारीख Dated 31.07.2017.

//अनुप्रमाणित Attested//

(विजयन पिल्लै Vijayan Pillai) सीमाश्लक अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to: Additional Commissioner All D.Cs & A.Cs All members